# उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,

सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ

## विज्ञप्ति

उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी प्रदेश की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है, जिसके द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी के दैनिक कार्यो के निर्वहन हेतु आऊटसोर्सिंग के माध्यम से ''कार्य संविदा'' के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रतिष्ठित प्लेसमेन्ट एजेन्सियों/फर्मो से वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित है:–

(क) **द्विभाषीय आशुलिपिक** : सम्बन्धित कर्मी को हिन्दी भाषा में शार्टहैण्ड एवं टाईपिंग में क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति की निपुणता, एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अंग्रेजी भाषा में शार्टहैन्ड व टाइपिंग में क्रमशः 100 व 40 शब्द प्रति मिनट की गति की निपुणता, व मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। (आयु सीमा 21 से 45 वर्ष)

(ख) **कम्प्यूटर आपरेटर** : सम्बन्धित कर्मी स्नातक की उपाधि के साथ–साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव रखता हों। (आयु सीमा 21 से 45 वर्ष)

(ग) **प्रशिक्षण सहायक** : स्नातक (न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण), हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान तथा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हों। प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुभव अथवा विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष)

(घ) **अनुसेवक** : कक्षा–8 पास। (आयु सीमा 21 से 45 वर्ष)

2. एजेन्सी/फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रस्ताव श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप हों।

3. **वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में फर्म को प्रस्तावित दरों पर समय–समय पर वांछित कार्मिकों की सेवाएं आऊटसोर्सिंग के आधार पर अकादमी को निर्धारित अवधि के लिए उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित किया जाएगा।**

4. वित्तीय प्रस्ताव सभी प्रकार के टेक्सेस व सर्विस चार्जेस इत्यादि सम्मिलित करके प्रस्तुत किए जाए। वित्तीय प्रस्ताव में अंकित धनराशि के अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।

5. इच्छुक प्लेसमेन्ट एजेन्सी/फर्म उपरोक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण सहित वित्तीय प्रस्ताव अकादमी में दिनांक 31.08.2010 की अपरान्ह 2:00 बजें तक मुहर बन्द लिफाफे में निम्नलिखित पते पर उपलब्ध कराएं :–

महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।

6. निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र दिनांक 16.08.2010 से दिनांक 31.08.2010 तक रू0 100.00 का शुल्क अकादमी के पक्ष में जमा कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा की शर्ते व प्रपत्र बेबसाईट : www.upacademy.org पर भी उपलब्ध है। निविदा फार्म व शर्ते बेबसाईट से download किये जाने की स्थिति में फर्म द्वारा रू0 100/– अकादमी में नकद जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी। उक्त रसीद निविदा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी होगी।

7. निविदाएं 31.08.2010 में सायं 5 बजें गठित समिति के समक्ष निविदाकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

8. इस परिप्रेक्ष्य में वैयक्तिक आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। सिर्फ प्लेसमेन्ट एजेन्सियों/फर्मो के आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा।

**महानिदेशक**

प्रपत्र मूल्य –
रू0 100/–

<u>निविदा प्रपत्र</u>

प्रेषक,

______________________________

______________________________

______________________________

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर "डी", अलीगंज,
लखनऊ।

| | | |
|---|---|---|
| क0सं0 1 | सन्दर्भ/विज्ञापन संख्या व दिनांक | |
| क– | निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | |
| ख– | निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि | |
| ग– | निविदा शुल्क रू0 100/– जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक रसीद की मूल प्रति संलग्न करें | |
| 2– | फर्म /संस्था का नाम | |
| 3– | फर्म/संस्था का पूरा पता एवं टेलिफोन न0/मोबाइल न0 | |
| 4– | प्रोपाइटर का नाम | |
| 5– | पत्राचार का पता टेलीफोन नं0/मोबाइल न0 सहित | |
| 6– | सर्विस टैक्स पंजीयन संख्याः {पंजीयन की छाया पति संलग्न करें} | |
| 7– | आयकर पंजीयन संख्या | |

| | | |
|---|---|---|
| | {पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें} | |
| 8— | ईपीएफ एवं ईएसआई संख्या {पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें} | |
| 9— | संस्था क्या किसी अन्य शासकीय विभाग को भी सुविधा उपलब्ध करा रही है? यदि हाँ तो विभाग का नाम | |
| | | |
| | | |

**निविदा प्रस्ताव**

| | | गति | | | | डिप्लोमा का विवरण | जन्मतिथि | वित्तीय प्रस्ताव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हिन्दी | | अंग्रेजी | | | | |
| | | शार्टहैण्ड | टाइपिंग | शार्टहैण्ड | टाइपिंग | | | |
| 10— | द्विभाषीय आशुलिपिक | | | | | | | |

| | | शैक्षिक योग्यता | डिप्लोमा का विवरण | अनुभव | जन्मतिथि | वित्तीय प्रस्ताव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11— | कम्प्यूटर आपरेटर | | | | | |

| | | शैक्षिक योग्यता | विषय | विशेष योग्यता | अनुभव | जन्म तिथि | वित्तीय प्रस्ताव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12— | प्रशिक्षण सहायक | | | | | | |

13. मैं/हम महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं जिसके लिये विभाग का निर्धारित निविदा फार्म भरकर शुल्क सहित भेज रहा हूँ/ भेज रहे हैं, जिसकी प्रमाणिकता स्वरूप निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया है/ दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
पूरा नाम व पता मोबाइल न0 सहित

दिनांकः—

# <u>निविदा की शर्तें</u>

1. सफल निविदादाता फर्म को कार्मिकों की सेवायें "**कार्य संविदा**" के अनुबन्ध के आधार पर उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को उपलब्ध कराई जानी होंगी।
2. फर्म को निविदा में अनुमोदित दरों के अनुसार यथावश्यकता कार्मिकों को दैनिक/मासिक/वार्षिक आधार पर आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।
3. उपलब्ध कराए गए कार्मिकों के कार्य, व्यवहार एवं आचरण के लिए फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। कार्मिकों के व्यवहार में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा।
4. कार्मिकों के टंकण व शार्टहैण्ड की दक्षता की परीक्षण द्वारा पुष्टि करने का अधिकार अकादमी को होगा।
5. कार्मिकों द्वारा अकादमी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने की दशा में विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा।
6. किसी भी प्रकार के वाद का क्षेत्र लखनऊ होगा।
7. संबन्धित कार्मिकों को प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक अकादमी में उपस्थित रहना होगा। सामान्यतः सार्वजनिक अवकाशों व अन्य राजपत्रित अवकाशों में कार्मिकों को अवकाश उपभोग करने की छूट रहेगी, किन्तु अपरिहार्य कारणवश यदि राजपत्रित अवकाश व सार्वजनिक अवकाश दिवसों में उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा जिसके लिए अलग से किसी ओवरटाइम का भुगतान नहीं देय होगा।
8. फर्म को कार्मिकों का उपस्थिति विवरण (Attendance Statement) अकादमी को उपलब्ध कराना होगा जिसे अकादमी के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए फर्म को प्रेषित किया जाएगा। उक्त के आधार पर फर्म अकादमी को बिल भुगतान हेतु उपलब्ध कराएगी, जिसके सापेक्ष अकादमी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. कार्मिकों द्वारा कार्य दिवसों में अवकाश लिए जाने पर फर्म द्वारा प्रतिस्थानी उपलब्ध कराया जाएगा।
10. फर्म को रू0 25,000/— सिक्योरिटी धरोहर धनराशि के रूप में अकादमी में जमा करनी होगी जिसे संतोषजनक अनुबन्ध की समाप्ति पर फर्म को वापस कर दिया जाएगा। दो दशाओं में उक्त राशि से कटौती की जा सकती है:

    (क) संस्थान द्वारा असंतोषजनक कार्य निष्पादन की शिकायत करने पर अथवा फर्म द्वारा प्रतिस्थानी न देने की स्थिति में रू0 500/ प्रति दिवस की दर से।

    (ख) कार्मिकों द्वारा अकादमी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने पर संगत धनराशि की कटौती फर्म को देय भुगतान अथवा सिक्योरिटी मनी से की जाएगी।

11. अकादमी को यह अधिकार होगा कि एक माह का नोटिस देते हुए अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाय।
12. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रम विभाग विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक के भुगतान व कर्मियों के कल्याण के अन्य प्रासंगिक पक्षों पर जारी निर्देशों का कठोरता से अनुपालन हो।
13. फर्म उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगी।